

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2223]
No. 2223]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 29, 2014/कार्तिक 7, 1936
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2014/KARTIKA 7, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग संचालन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2014

कार.आ. 2788(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के काम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के काम (2) में—तदनुक्रम प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के काम (1) में तदनुक्रम प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट संख्या, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी है, अर्थात्:—

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड कि.मी. में
(1)	(2)	(3)
29	बादांगली - गोखपुर खंड	किमी 2,225 से किमी 208.500
68	मजमऊ - तुलानपुर खंड	किमी 11.500 से किमी 134.700
93	असीगढ़ - मुराबाबा खंड	किमी 79.000 से किमी 232.000
235	मेरठ - हापुड खंड (उत्तर प्रदेश राज्य में)	किमी 7,489 से किमी 88.482

[कार. सं. एनएच-14013/9/2012-पीएचएम]
माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड डी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2014

S.O. 2788 (E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

4294 OI/2014

(1)

परिवहन, सड़क और राजमार्ग
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
New Delhi, India

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
20	Varanasi-Gorakhpur section	From Km. 2,225 to Km. 208,500.
56	Lucknow-Sultanpur section	From Km. 11,500 to Km. 134,700.
93	Aligarh-Moradabad section	From Km. 79,000 to Km. 232,000.
235	Meerut-Hapur section	From Km. 7,469 to Km. 66,482.
	(In the State of Uttar Pradesh)	

[P. No. NH-14013/9/2012-P&M]

MAYA PRAKASHI, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2014

का.आ. 2789(क).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न सारिका के भाग (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने सारिका के भाग (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसी कार्य को करने के लिए वाध्य होगी और उक्त प्रयोजनार्थ तात्कालीन पोस्ट परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना नं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, भाग सं. 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित किया जाएगा, अर्थात्—

सारिका

(1)	(2)	(3)
"24"	राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 2ए, रास सं. 7, रास सं. 11 (किमी 17,756 से किमी 42,525 (आगरा-उ. प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर), रास सं. 19, रास सं. 24 (किमी 27.62 से किमी 488.27 (हापुड़ तथा गुराबाबाद बाइपास सहित पाणियाबाद-गुराबाबाद-बरेली-भीतापुर-सखनऊ खंड) तक खंड को छोड़कर), रास सं. 24ए, रास सं. 27 (किमी 0,000 (रास सं. 2 का किमी 211,700) से किमी 5,410 (रास सं. 27 का तथा संरेखण) तक खंड को छोड़कर), रास सं. 28बी, 28सी, रास सं. 29, (किमी 2,225 से किमी 208,500 (वाराणसी - गोरखपुर खंड) तक खंड को छोड़कर), रास सं. 86 (किमी 11,500 से किमी 134,700 (सखनऊ - सुल्तानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर) रास सं. 58, (किमी 52,250 से किमी 152,00 (मेरठ-मुजफ्फरपुर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर), रास सं. 72ए, रास सं. 73, रास सं. 74, (किमी 284,000 से किमी 342,000 (काशीपुर - वितारण - बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर), रास सं. 75 (किमी 80,00 से किमी 103,00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी) तक खंड को छोड़कर), रास सं. 76, रास सं. 88 (किमी 7,43 से किमी 130,100 (काशीपुर से कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर), रास सं. 91 (किमी 23,800 से किमी 419,000 (पाणियाबाद-भलीगाह-काशीपुर खंड) तक खंड को छोड़कर), रास सं. 91ए, रास सं. 92, रास सं. 93, (किमी 0.00 से किमी 232,000 (आगरा-भलीगाह-गुराबाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर), रास सं. 98, रास सं. 97, रास सं. 119, रास सं. 232ए, रास सं. 233, रास सं. 236, (किमी 7,469 से किमी 66,482 (मेरठ - हापुड़ खंड) तक खंड को छोड़कर), नई रास सं. 330ए, नई रास सं. 730, नई रास सं. 730ए, नई रास सं. 831, और नई रास सं. 931ए के उक्त भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार

[का. सं. एनएच-14013/9/2012-पीएंडएम]

मया प्रकाश, निदेशक (पी एंड पी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना का का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 2237 (अ), तारीख 5 सितंबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2014

S.O. 2789(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highway Authority of India
मुरादाबाद / Moradabad

shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
24	So much of National Highways No.2A, No.7, No.11 [excluding from Km. 17.756 to Km. 42.525 (Agra - UP/Rajasthan Border)], No.19, No.24 [excluding from Km. 27.62 to Km. 488.27 (Ghaziabad - Moradabad-Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and Moradabad bypass)], No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 (Km. 211.700 of NH No.2) to Km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No.28B, No. 28C, No.29 [excluding from Km. 2.225 to Km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur Section)], No.36 [excluding from Km. 11.300 to Km. 134.700 (Lucknow-Sitapur Section)], No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 152.00 (Meerut-Muzaffarnagar - Uttar Pradesh/Uttarakhand Border)], No.72A, No.73, No.74 [excluding from Km. 264.000 to Km. 342.000 (Kasimpur-Sitarganj-Bareilly Section)], No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], No.76, No.86 [excluding from km. 7.43 to Km. 130.100 (Kanpur to Kabul section)], No. 91 [excluding from km. 23.600 to Km. 414.000 (Ghaziabad-Aligarh-Kanpur section)], No.91A, No.92, No.93 [excluding from Km. 0.00 to Km. 232.000 (Agra-Aligarh-Moradabad section)], No.96, No.97, No.119, No. 232A, No. 233, No. 235 [excluding from Km. 7.469 to Km. 66.482 (Meerut-Hapur Section)], New No. 330A, New No.730, New No. 730A, New No.931, and New No.931A as are situated within the State of Uttar Pradesh.	State Government of Uttar Pradesh.

[F. No. NH-140]3/9/2012-P&M;

MAYA PRAKASHI, Director (P&B)

Foot note:—The principal notification was published vide number S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 2237 (R), dated the 5th September, 2014.